



उज्जैन, दिनांक 06.08.2026

॥ पीएलव्ही पैन्लीकृत किये जाने हेतु विज्ञापन ॥

"आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अवधि:- दिनांक 06.08.2026 से दिनांक 31.08.2026 तक
सायं 5:00 बजे तक"

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन द्वारा नालसा की पैरालीगल वालंटियर्स स्कीम के अनुक्रम में तथा म.प्र.राविसेप्रा जबलपुर के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय उज्जैन एवं खाचरौद, नागदा, महिदपुर, तराना एवं बड़नगर स्थित तहसील विधिक सेवा समितियों हेतु योग्य एवं उपयुक्त व्यक्तियों को पैरालीगल वालंटियर्स के रूप में पैनलकृत (Empanlment) करने तथा उनमें से आवश्यकता अनुसार PLV को विभिन्न ग्रामों एवं अन्य आवश्यक स्थानों पर स्थापित किये जाने वाले अथवा संचालित लीगल सर्विसेज क्लीनिक्स (विधिक सेवा केन्द्र), पुलिस थानों में समाज के कमजोर, पिछड़े तथा पीड़ित व्यक्तियों को सहायता एवं सलाह एवं गुमशुदा बच्चों को मदद करने हेतु संबद्ध करने तथा राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग प्राप्ति हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन में इच्छुक व्यक्तियों एवं पूर्व में इम्पैनल्ड वालंटियर्स से एक वर्षीय (सत्र 2026-27) पैनल के लिए बतौर PLV विधिक सेवा कार्य हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित करता है। चयन प्रक्रिया पूर्ण रूप से निःशुल्क है इस हेतु कोई आवेदन शुल्क व चयन शुल्क देय नहीं है।

- विधिक सेवा संस्थाओं के लिए चयन किए जाने वाले पैरालीगल वॉलंटिसर्य की इम्पैनलमेंट हेतु अधिकतम संख्या निम्नानुसार प्रस्तावित हैं—

स.क्र.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / तहसील विधिक सेवा समिति	अधिकतम संख्या
1.	उज्जैन	70
2.	खाचरौद	20
3.	नागदा	20
4.	महिदपुर	20
5.	तराना	20
6.	बड़नगर	20
कुल-		170

● विशेष नोट:-

1. पैरालीगल वालंटियर का कार्य स्वयंसेवक के रूप में पूर्णतः विधिक सेवा का कार्य है, जो कि नौकरी अथवा शासकीय सेवा नहीं है, इन्हें किसी प्रकार का वेतन/मजदूरी/भत्ता आदि देय नहीं है।
2. पैरालीगल वालंटियर बनने के लिए 18 वर्ष अथवा उससे अधिक किसी भी उम्र का व्यक्ति आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वह उत्तम चरित्र, स्वस्थ चित्त का हो और उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई शारीरिक दोष ना हों जो उसे कार्य करने के लिए अक्षम बनाता है।
3. शैक्षणिक योग्यता—न्यूनतम 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
4. आवेदन—कर्ता रजिस्टर्ड विधि व्यवसायी ना हो।
5. आवेदन—कर्ता के विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण किसी भी पुलिस थाना/आरक्षी केन्द्र में पंजीकृत न हो। इस संबंध में आवेदन के साथ शपथ पत्र संलग्न किया जाये।

निरन्तर.....(2)

6. आवेदन-कर्ता की किसी भी राजनीतिक दल से कोई संबद्धता नहीं होनी चाहिए।
 7. पैनलकृत PLV को किसी विशेष सौंपे गये विधिक सेवा कार्यों के लिए ही तत्समय प्रचलित नियमानुसार मानदेय एवं व्यय देय होगा। इसके अलावा कोई अन्य व्यय अथवा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
 8. पैनलकृत PLV को यथा निर्देशित विधिक सेवाओं, विधिक साक्षरता, जागरूकता कार्यक्रमों, अभियानों, नुक्कड़ नाटक में सहभागिता एवं सहयोग करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नियमित सम्मिलित होने के लिए स्वयंसेवा के लिए सदैव तत्पर एवं रुचिवान् रहना होगा।
 9. ऐसे PLVs जो विषय विशेष में योग्यता अथवा संबंधित क्षेत्र से संबद्धता रखते हैं, उनसे विशेष कार्यक्रमों/गतिविधियों में सेवाएँ ली जा सकेंगी।
 10. PLVs द्वारा किये जाने वाले कार्यों एवं उनकी उपस्थिति की सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। अतः PLVs से समय-समय पर कार्य प्रतिवेदन एवं अपडेशन की अपेक्षा रहेगी।
 11. संबंधित तहसील में ही स्थित सम्बन्धित सेवा स्थल के आस-पास के रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन में प्राथमिकता दी जा सकेगी।
 12. समय-समय पर जारी व प्रभावशील सुसंगत नियमों और विनियमों के प्रकाश में विधिक सेवा संस्था एवं प्राधिकारियों द्वारा बताए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का सदैव पालन करना होगा तथा उनसे की जाने वाली पृच्छा के संबंध में प्रतिवेदन भी देना होगा।
- निम्न समूह के व्यक्ति पैरालीगल वालंटियर हो सकते हैं—
 - 1— निजी अथवा शासकीय शिक्षक (जिसमें रिटायर्ड व्यक्ति भी शामिल हैं),
 - 2— सेवा निवृत्त शासकीय सेवक, वरिष्ठ नागरिक और भूतपूर्व पंचायत सदस्य,
 - 3— सामाजिक कार्य विषय (MSW) के विद्यार्थी अथवा सामाजिक कार्य विषय के शिक्षक एवं विभिन्न समुदायों के समाज सेवी,
 - 4— महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं पर्यवेक्षक,
 - 5— निजी अथवा शासकीय चिकित्सक एवं फिजीशियन, नर्सिंग स्टाफ, आशा कार्यकर्ता,
 - 6— महाविद्यालय/विधि महाविद्यालयीन अध्ययनरत् विद्यार्थी (जोकि अधिवक्ता के रूप में नामांकित ना हों)
 - 7— गैर राजनीतिक, सेवा उन्मुखी गैर सरकारी संगठन एवं मान्यता प्राप्त क्लब के सदस्य,
 - 8— महिला समूहों, मैत्री संघों, स्व-सहायता समूहों के सदस्य,
 - 9— सेवा निवृत्त पुलिस अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी/न्यायिक कर्मचारी व अन्य विभागों के कर्मचारी,
 - 10— जेल में अच्छे व्यवहार और लंबी सजायाफ्ता बंदी। (केवल जेल प्रशासन की अनुसंशा पर)
 - 11— भूतपूर्व सैनिक व ट्रांसजेंडर,
 - 12— विभिन्न जनजातियों के सदस्यगण,
 - 13— समाज के वंचित वर्ग के सदस्य व समाज के अन्य प्रभुद्वजन,
 (यह कि निर्देशानुसार चयन प्रक्रिया में वंचित वर्ग एवं सम्मानित समुदाय के सदस्यों को वरीयता दी जायेगी)

“आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अवधि दिनांक 06.08.2026 से दिनांक 31.08.2026 सायं 5:00 बजे तक”

- **समय सीमा**—आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर, शपथ पत्र संलग्न कर, आवेदन में एक पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा कर दिनांक 31.08.2026 को सायं 5:00 बजे तक निम्नलिखित विधिक सेवा संस्थाओं में जमा किया जाएगा। आवेदन डाक/कोरियर के माध्यम से भी प्रेषित किये जा सकेंगे। अंतिम तिथि के पश्चात किसी भी माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

विधिक सेवा प्राधिकरण/समितियों का विवरण एवं पता, जहाँ के लिए आवेदक को इम्पैनलमेंट हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना है-

क्र.	विधिक सेवा प्राधिकरण/समितियों का नाम	कार्यालय का नाम एवं पता
01.	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उज्जैन	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर, उज्जैन (म.प्र.) पिन-456010
02.	तहसील विधिक सेवा समिति, खाचरौद	अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति, न्यायालय परिसर, खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.) पिन-456224
03.	तहसील विधिक सेवा समिति, नागदा	अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति, न्यायालय परिसर, नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) पिन-456335
04.	तहसील विधिक सेवा समिति, महिदपुर	अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति, न्यायालय परिसर, महिदपुर, जिला उज्जैन (म.प्र.) पिन-456443
05.	तहसील विधिक सेवा समिति, तराना	अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति, न्यायालय परिसर, तराना, जिला उज्जैन (म.प्र.) पिन-456665
06.	तहसील विधिक सेवा समिति, बड़नगर	अध्यक्ष, तहसील विधिक सेवा समिति, न्यायालय परिसर, बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) पिन-456771

- चयन प्रक्रिया— जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन अथवा संबंधित विधिक सेवा समितियों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों में से छंटनी (स्कूटनी) कर अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों को चयन कमेटी के समक्ष साक्षात्कार हेतु के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार की तिथि की सूचना आवेदनकर्ता को उसके द्वारा दिये गये मोबाईल नंबर, व्हाट्सएप व दूरभाष के माध्यम से दी जाएगी। तिथि की सूचना प्राप्ति के पश्चात यदि किसी कारणवश साक्षात्कार तिथि परिवर्तन होती है तो उसकी सूचना आवेदक को उनके द्वारा दिये गये दूरभाष/मोबाईल पर पुनः दी जायेगी।

किसी भी उम्मीदवार का आवेदन खारिज करने का पूर्ण अधिकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन संबंधित विधिक सेवा समिति का होगा और चयन कमेटी का निर्णय अंतिम होगा।

आवेदक को चयन कार्यवाही यथा—साक्षात्कार की तिथि की सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन/संबंधित विधिक सेवा समितियों/न्यायालय के सूचना पटल पर एवं जिला न्यायालय की अधिकारिक वेब साईट <https://ujjain.dcourts.gov.in> पर भी दी जायेगी।

- यात्रा व्यय/भत्ता—साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले आवेदक को किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय एवं भोजन व्यय देय नहीं होगा।


 (मनोज कुमार भाटी)
 न्यायाधीश एवं सचिव,
 जिविसेप्रा-उज्जैन (म.प्र.)